Pilani Domicile - Phe II

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका चिड़ावा,झुन्झुनू (राज.)

प्ररूप-11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

क्रमांक-1011 दिनांक 16/8/18

1. श्री निवास रेड्डी/राम मनोहर रेड्डी, श्री जी.एस.एन राजाराव/श्री माणिकयाला राव, श्री एस. विजय कुमार/श्री सुब्बा राव।
निवासी-श्री निवास रेड्डी, निवासी-मकान न. 48-228 प्लॉट नं. 113, सूर्य नगर चिन्तल हैदराबाद-तेलंगाना, श्री जी.एस.एन राजाराव निवासी 32-373 एवं 3/4, एच.ए.एल कॉलोनी हैदराबाद-आन्ध्रप्रदेश व एस. विजय कुमार निवासी मकान नं. डी 55-35/330/71, आववपुरम, पुकतातपाली हैदराबाद-तेलंगाना।

विषयः- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 16/8/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः-

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैः-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
चिड़ावा(झुन्झुनू)	ओजटू	529,531,532,533,534,535,745/532	8.55 है.

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख,सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास. योजना,सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरा यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। आवेदक द्वारा मौके पर सर्वेक्षण मानचित्र अनुसार निर्माण किया हुआ है। अतः किये गये निर्माण को नियमित करते हुये स्थानीय निकाय भूमि का नियमन करें।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 529,531,532,533,534,535,745/532 रकबा 8.55 है. की ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियां को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमो, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषि‌क प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका चिड़ावा
दिनांक 16/8/10

सं- 1011
प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. अधिशाषी अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू।
2. तहसीलदार, चिड़ावा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री निवास रेड्डी/राम मनोहर रेड्डी, श्री जी.एस.एन राजाराव/श्री माणिकयाला राव, श्री एस. विजय कुमार/श्री सुब्बा राव। निवासी-श्री निवास रेड्डी, निवासी-मकान न. 48-228 प्लॉट नं. 113, सूर्य नगर चिन्तल हैदराबाद-तेलंगाना, श्री जी.एस.एन. राजाराव निवासी 32-373 एवं 374, एच.ए.एल कॉलोनी हैदराबाद-आन्ध्रप्रदेश व एस. विजय कुमार निवासी मकान नं. डी 55-35/330/71, आवनपुरम, पुकतातपाली हैदराबाद-तेलंगाना।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका चिड़ावा